



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246038
CG-DL-E-24052023-246038

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2179]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2023/ज्येष्ठ 3, 1945

No. 2179]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2023/JYAISHTHA 3, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

सं. 07/2023

विषय : एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2273(अ).—केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है;

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 40 00	केवल टूटे हुए चावल हेतु	निषिद्ध	निर्यात भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदान की गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर अनुमत होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

टूटे हुए चावल की निर्यात नीति निषिद्ध है; तथापि, निर्यात भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदान की गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर अनुमत होगा।

[फा. सं. 01/91/171/35/एम-20/ई-फाइल/पार्ट-I/ई-19680]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2023

No. 07/2023

Subject : Amendment in Export Policy of broken rice under HS Code 1006 40 00.

S.O. 2273(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby incorporate the Policy Conditions for broken rice against ITC (HS) code 1006 40 00 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:-

ITC HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
1006 4000	Only for broken rice	Prohibited	Export will be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their Government.

2. Effect of this Notification:

The export policy of broken rice is prohibited; however, export will be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their Government.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/E-File/Part-1/E-19680]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.